

— आदेश —

तहसीलदार करेडा की रिपोर्ट अनुसार^{तथा} सूची अनुसार क्र. स.
L से 202 में दर्ज प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने का आदेश
किया जाता है. तहसीलदार करेडा तदनुसार राजस्व
रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश
करे।


प्रमुख अधिकारी
(तहसीलदार करेडा)
करेडा

